अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या–480/2012

अनिल यादव एवं अन्य..... अपीलार्थीगण

बनाम

नागेश्वर यादव एवं अन्य.....विपक्षीगण

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलार्थीगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 242/2011 में पारित आदेश दिनांक–24.09.2012 के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि वे निम्न न्यायालय में विपक्षी थे, वाद की सूचना प्राप्त होते ही निम्न न्यायालय में ओवदक के गलत दावों का विरोध किया। निम्न न्यायालय में विपक्षी का दावा था कि उनके पिता विवादित भूमि के सिकमीदार थे, जिनके नाम पर जमाबंदी वर्ष 2009–10 में कायम हुआ एवं पिता के मृत्यु उपरान्त तीनों भाईयों यथा नागेश्वर यादव, शंकर यादव एवं गिरीश यादव द्वारा दाखिल खारिज वाद के द्वारा अपने–अपने नाम पर रकवा एक एकड़ 48 डिस्मील पर जमाबंदी नं0 260, 261 एवं 262 कायम हुआ एवं वे दखलकार हुए। निम्न न्यायालय में विपक्षी का बिना प्रमाण के यह भी दावा किया गया कि सिकमी खातेदार एवं मालिक जमीन्दार के बीच मुकदमा चला, जिसमें सिकमीदार के पक्ष में फैसला हुआ। निम्न न्यायालय द्वारा बिना ठोस प्रमाण पाये ही विपक्षी के पक्ष में फैसला दिया गया, जो तथ्यविहीन एवं गलत है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय के द्वारा उनके दावे के समर्थन में दाखिल किये गये दो केवाला दस्तावेज संख्या–3904 एवं 3905 दिनांक–11.11.2011 एवं अपने विक्रेता के वंशज के नाम हाल खतियान, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का नकल वाजाप्ता की छाया प्रति की अनदेखी कर गलत आदेश पारित किया गया। वास्तव में विवादित भूमि के भू–स्वामी बीबी सफीया का स्थायी निवास बरौनी के आसपास बारो है, जो विवादित मौजा से काफी दूर है। विवादित भूमि के भू–स्वामी बीबी सफीया के पति अब्दूल क्यूम का काफी जमीन था, जिसके जोत आवाद के लिये उक्त मौजा समसुद्दीन की जमीन आसपास के ग्रामीणों को मनहुण्डा पर खेती बाड़ी के लिये दिया गया एवं विपक्षी को अनाज वसूलने के लिये नौकरी पर रखा गया, जो अनाज वसूल कर भू–स्वामी बीबी साफिया पति अब्दुल क्युम को पहुँचाया करता था। विपक्षी के द्वारा नौकर के रूप में विश्वास पैदाकर छलकपट

से रिवीजनल सर्वे के समय हाल खतियान के कैफियत कॉलम में अपना नाम सिकमीदार के रूप मे दर्ज करवा लिया गया एवं इसकी जानकारी अपने मालिक बीबी सफीया, उनके पति एवं परिवार को नहीं होने दिया। जबकि खतियानी रैयत बीबी सफीया के पौत्र रजी अहमद के द्वारा निबंधित दस्तावेज द्वारा मौजा समसुद्दीनपुर थाना नं0-94 पुराना वो 313 नया अंचल बनमा ईटहरी, थाना सलखुआ, जिला सहरसा स्थित खतियानी रैयत की भूमि पुराना खाता-01 पुराना खेसरा-198 अन्दर नया खाता-184 नया खेसरा 419 रकवा-81 डिसमील वा पुराना खेसरा 454 नया खेसरा 793 रकवा-57 डिसमील, पुराना खेसरा 128 नया खेसरा 277 रकवा 23 डिसमील पुराना खेसरा-149, 147 नया खेसरा-289 एवं 290 रकवा 100 डिसमील वो पुराना खेसरा 257 नया 395 रकवा 31 डिसमील अंदर नया खाता 184 अपीलार्थी को बिक्री कर दिए एवं दखल कब्जा दे दिया गया। विपक्षी द्वारा कुछ दिनों के बाद ही जोर जबरदस्ती एवं दखलांदाजी शुरू कर दिया गया एवं झुठा मुकदमा किया गया। अपीलार्थी खतीयानी रैयत से खरीददार हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विवादित भूमि को लेकर टी0एस0 वाद संख्या 136/1951 में पारित आदेश के विरूद्ध बीबी सफीया के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया गया, जो बीबी सफीया के पक्ष में आदेश हुआ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि को लेकर मालिक जमीन्दार एवं उनके बिच मुकदमा चला था, जिसमें उनके पिता के नाम से आदेश पारित हुआ, जिसमें जमांबन्दी संख्या 377 उनके पिता तिलेश्वर यादव के नाम से कायम हुआ एवं पिता के मरने के बाद खाता संख्या 01/184 अन्तर्गत कुल रकवा 4 एकड़ 45 डिसमील का दाखिल खारीज होकर जमाबन्दी नंबर 260, 261 एवं 262 कायम हुआ एवं उन्हे मालगुजारी प्राप्त है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किए एवं बिना साक्ष्यों के मुल्यांकन के ही आदेश पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी का दावा भूमि पर है। अतः अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है वाद को पुनः प्रेषित (Remand) करते हुए एवं भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, सहरसा को आदेश दिया जाता है कि पुनः उभय पक्षों को सुनकर एवं स्थल निरीक्षण कर उचित आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा